छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक की नियुक्ति हेतु सूचना

IndianOil | Bharat Petroleum | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HP

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों से संबंध रखनेवाले प्रत्याशियों में से नीचे दिए स्थानों पर अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करते हैं:

क्र.	ऑयल कंपनी	लोकेशन का नाम (शहर गाँव/वों)	ग्राम/नगर पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला	श्रेणी
1	आईओसी	निपनिया, सिंगारपुर, कोसमांडी, कडार	निपनिया, सिंगारपुर, कोसमांडी, कडार	भाटापारा	बालौदा बाजार	ओबीसी
2	आईओसी	ओड़ान, वटगन, सिसदेवरी	ओड़ान, वटगन, सिसदेवरी	पलारी	बालौदा बाजार	ओपन
3	आईओसी	हथबंध	हथबंध	सिमगा	बालौदा बाजार	ओपन
4	आईओसी	रामचंद्रपुर, महाराजगंज	रामचंद्रपुर, महाराजगंज	रामचंद्रपुर	बलरामपुर	ओबीसी
5	आईओसी	अदावल	अदावल	जगदलपुर	बस्तर	एसटी
6	आईओसी	बालसमुंद, मोरेगा, घटोली, भैंसा, छितापर, अर्जुनी	बालसमुंद, मोरेगा, घटोली, भैंसा, छितापर, अर्जुनी	बेमेतरा	बेमेतरा	ओपन (जीपी)
7	आईओसी	बेलगहना	बेलगहना	कोटा	बिलासपुर	ओबीसी
8	आईओसी	टुंडरी, केनापाली, बारादरहा कंवली	टुंडरी, केनापाली, बारादरहा कंवली	डभरा	जाजंगीर-चांपा	एससी
9	आईओसी	दुधावा, चोरिया, शामतारा, घोटियावाही, मावलीपारा	दुधावा, चोरिया, शामतारा, घोटियावाही, मावलीपारा	नरहरपुर	कांकेर	एसटी
10	आईओसी	बड़ेकनेरा, करंजी, राजागाँव	बड़ेकनेरा, करंजी, राजागाँव	कोंडागॉव	कोंडागॉव	एसटी
11	आईओसी	करतला, कोटमेर, पिडिया	करतला, कोटमेर, पिडिया	करतला	कोरबा	ओबीसी
12	आईओसी	पासान, लैंगी	पासान, लैंगी	पोडी उपरोदा	कोरबा	एसटी
13	आईओसी	खडगावाँ, थानगांव	खडगावाँ, थानगांव	खडगावाँ	कोरिया	एसटी
14	आईओसी	केलहारी, मनवारी, चरवाही, केवटी	केलहारी, मनवारी, चरवाही, केवटी	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	एसटी (जीपी)
15	आईओसी	अखरार, डिडौरी, तिलकपुर	अखरार, डिडौरी, तिलकपुर	लोरमी	मुंगेली	ओबीसी
16	आईओसी	छाल, नवापारा, बोजिया	छाल, नवापारा, बोजिया	धरमजयगढ़	रायगढ़	ओपन
17	आईओसी	धौराभाटा, डोंगामहुआ, ऊर्जानगर	धौराभाटा, डोंगामहुआ, ऊर्जानगर	तमनार	रायगढ़	एसटी
18	आईओसी	पुंजीपतरा, गेरवानी, तराईमाल, तुमिडिह, भालूमार	पुंजीपतरा, गेरवानी, तराईमाल, तुमिडिह, भालूमार	घरघोडा	रायगढ़	ओबीसी (जीपी)
19	आईओसी	कोंडातराई, पटेलपाली	कोंडातराई, पटेलपाली	पुसौर	रायगढ़	ओपन (सीसी)
20	आईओसी	सारागॉव	सारागॉव	धरसींवा	रायपुर	ओपन
21	आईओसी	चिलहाटी, आमाटोला, रेंगाकथेरा, मांगूटोला	चिलहाटी, आमाटोला, रेंगाकथेरा, मांगूटोला	अंबागढ़ चौकी	राजनांदगाँव	एसटी
22	आईओसी	करवा, लटोरी	करवा, लटोरी	सूरजपुर	सूरजपुर	ओबीसी
23	बीपीसी	अकलतरी, टेकर, सिघरी	अकलतरी, टेकर, सिघरी	बिलासपुर	बिलासपुर	एससी
24	बीपीसी	बेलरगांव	बेलरगांव	नगरी	धमतरी	ओपन (जीपी)
25	बीपीसी	अमलेश्वर, सांकरा, महुदा	अमलेश्वर, सांकरा, महुदा	पाटन	दुर्ग	ओपन
26	बीपीसी	लोदाम, जामटोली	लोदाम, जामटोली	जशपुर	जशपुर	ओबीसी
27	बीपीसी	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	पखांजुर	कांकेर	ओपन
28	बीपीसी	पीपरा	पीपरा	केशकाल	कोंडागॉव	एसटी
29	बीपीसी	माकडी, हाडीगांव, जरन्डी	माकडी, हाडीगांव, जरन्डी	माकडी	कोंडागॉव	ओपन
30	बीपीसी	नागपुर, बरबसपुर	नागपुर, बरबसपुर	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	ओबीसी
31	बीपीसी	कापू, अलोला	कापू, अलोला	धरमजयगढ़	रायगढ़	ओबीसी
32	बीपीसी	सिलयारी कुरूद	सिलयारी कुरूद	रायपुर	रायपुर	ओपन
33	बीपीसी	दनगढ़, सोमाटोला, गोटाटोला	दनगढ़, सोमाटोला, गोटाटोला	मोहला	राजनांदगॉव	ओबीसी
34	एचपीसी	पेरी, माहुद, बिरेतरा, हल्दी	पेरी, माहुद, बिरेतरा, हल्दी	गुण्डरदेही	बालोद	ओबीसी
35	एचपीसी	सुहेला, भटबेहरा, सकलोर, सिनौरा	सुहेला, भटबेहरा, सकलोर, सिनौरा	सिमगा	बलोदा बाजार	ओबीसी
36	एचपीसी	बेलतरा, लिम्हा	बेलतरा, लिम्हा	बिलासपुर	बिलासपुर	ओबीसी
37	एचपीसी	सिंघरा, लिमगाँव, पर्सा	सिंघरा, लिमगाँव, पर्सा	मालखरौदा	जाजंगीर-चांपा	एससी
38	एचपीसी	कोरर, बैजनपुरी शैलेगाँव	कोरर, बैजनपुरी शैलेगाँव	भानुप्रतापपुर	कांकेर	एसटी
39	एचपीसी	अरौद, कुर्रुभाट, टाहकापार, जेपरा	अरौद, कुर्रुभाट, टाहकापार, जेपरा	चारामा	कांकेर	एसटी
40	एचपीसी	धनोरा, बिन्छे, तोडासी	धनोरा, बिन्छे, तोडासी	केशकाल	कोंडागॉव	एसटी
41	एचपीसी	सतरेंगा, धनगाँव, गढ़उपरोडा	सतरेंगा, धनगाँव, गढ़उपरोडा	कोरबा	कोरबा	ओपन
42	एचपीसी	झलप	झलप	महासमुंद	महासमुंद	ओपन
43	एचपीसी	हाटी, जोगडा, पुरुंगा	हाटी, जोगडा, पुरुंगा	धरमजयगढ़	रायगढ़	ओबीसी
44	एचपीसी	गोढ़ी, नगपुरा, दरभा, जुगेसर	गोढ़ी, नगपुरा, दरभा, जुगेसर	आरंग	रायपुर	ओबीसी

पुन: विज्ञापन लोकेशन

क्र.	ऑयल कंपनी	लोकेशन का नाम (शहर गाँव/वों)	ग्राम/नगर पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला	श्रेणी
45	आईओसी	भानपुरी	भानपुरी	बस्तर	बस्तर	ओपन
46	आईओसी	दगौरी, अमेरी-अकबरी, गोढ़ी, मुरकुटा, उटगाँव	दगौरी, अमेरी-अकबरी, गोढ़ी, मुरकुटा, उटगाँव	बिल्हा	बिलासपुर	ओबीसी
47	आईओसी	दोंदरो, बेला, जामबहार	दोंदरो, बेला, जामबहार	कोरबा	कोरबा	ओपन
48	आईओसी	सरगाँव	सरगाँव	पथरिया	मुंगेली	एससी
49	आईओसी	बरमकेला, लोधिया, कंचनपुर, जनकपुर	बरमकेला, लोधिया, कंचनपुर, जनकपुर	बरमकेला	रायगढ़	ओपन
50	आईओसी	भूपदेवपुर, बिलासपुर, रक्सापाली	भूपदेवपुर, बिलासपुर, रक्सापाली	खरसिया	रायगढ़	ओपन
51	आईओसी	जामगॉव, महापल्ली	जामगॉव, महापल्ली	रायगढ़	रायगढ़	ओपन
52	बीपीसी	बिंद्रानवागढ़, हथबाय, बोईरगांव, कसावाय, सातधार	बिंद्रानवागढ़, हथबाय, बोईरगांव, कसावाय, सातधार	बिंद्रानवागढ़	गरियाबंद	ओपन
53	बीपीसी	लखनपुर, उडकुडा (उरकुरा), खैरखेड़ा, चिनौरी, तारसगांव	लखनपुर, उडकुडा (उरकुरा), खैरखेड़ा, चिनौरी, तारसगांव	चरामा	कांकेर	ओपन
54	बीपीसी	सोनहत, सलगवांकला	सोनहत, सलगवांकला	सोनहत	कोरिया	ओपन
55	एचपीसी	दाड़ी, छिरहा, सेमरिया	दाड़ी, छिरहा, सेमरिया	बेमेतरा	बेमेतरा	ओपन
56	एचपीसी	भोपालपट्नम, रुद्राम, गोलागुडा	भोपालपट्नम, रुद्राम, गोलागुडा	भोपालपट्नम	बीजापुर	ओपन
57	एचपीसी	केन्दा, छतौना, सिलपहरी, छुरैली	केन्दा, छतौना, सिलपहरी, छुरैली	कोटा	बिलासपुर	ओपन
58	एचपीसी	घोघर, सराईपनी	घोघर, सराईपनी	बगीचा	जशपुर	ओपन
59	एचपीसी	सन्ना, डूमरकोना	सन्ना, डूमरकोना	बगीचा	जशपुर	ओपन
60	एचपीसी	ओडगी, खर्रा, पालदनौली, मादर, इन्द्रपुर	ओडगी, खर्रा, पालदनौली, मादर, इन्द्रपुर	ओडगी	सूरजपुर	ओपन

प्रयुक्त नामावली इस प्रकार है :	
ओपन	– खुली श्रेणी
एससी/एसटी	– अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसुचित जनजाति श्रेणी
ओबीसी	– अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
ओपन (जीपी)	– सरकारी कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत रक्षा कर्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी, जो खुली श्रेणी में आते हैं ।
ओपन(सीसी)	– संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत शारिरीक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ), जो खुली श्रेणी में आते हैं ।
एससी/एसटी (जीपी)	– सरकारी कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/राज्य के उपक्रम के कर्मचारी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (सीसी)	– संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत शारिरीक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ), जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (जीपी)	– सरकारी कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी, जो अन्य पिछाड़ावर्ग श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (सीसी)	– संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत शारिरीक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ), जो अन्य पिछड़ावर्ग श्रेणी में आते हैं।

2. **केवल व्यक्तिगत** उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, नियुक्ति के बाद सभी आरजीजीएलवी आवेदक और उसकी पत्नी/पति के नाम संयुक्त रुप से होंगे (अर्थात पत्नी/पति आरजीजीएलवी के सह-स्वामी होंगे) उस स्थिति में, जब कोई आवेदक अविवाहित/परित्यक्त/विधवा/विधुर है तो उसे यह घोषणा करनी होगी कि विवाह/पुनर्विवाह के पश्चात वह उसकी पत्नी/पति को सह-स्वामी बनाएगा। सह स्वामी अर्थात जीवनसाथी 50 प्रतिशत का भागीदार होगा, चाहे उसकी आयु, योग्यता और रोजगार कोई भी हो। व्यक्तिगत आवेदकों को अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य के साथ भागीदारी की अनमुति नहीं दी जाएगी।

3. **सभी श्रेणियों के लिए सामान्य पात्रता मापदंड :**

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करनेवाले आवेदक को

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जिसमें आरजीजीएलवी स्थान विज्ञापित है या विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान के तालुका/तहसील का निवासी हो। आरजीजीएलवी के चयन के लिए पहली प्राथमिकता विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत में रहने वाले आवेदकों को दी जाएगी, ऐसा न होने पर विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान के संबंधित तालुका/तहसील में रहनेवाली आवेदकों को दी जाएगी।

(ग) मान्यताप्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण की हो। यह शर्त स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी के आवेदकों के लिए लागू नहीं है।

(घ) आवेदन करने की तारीख को आवेदक की आयु, सरकारी कार्मिक (जीपी), श्रेणी और स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी तथा ओएमसी के एसकेओ डीलरों, के आवेदकों के अलावा, 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जीपी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने की स्थिति में आवेदन करने की तिथि पर आयु 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओएमसी के एसकेओ डीलरों की श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन की तारीख को ऊपरी आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष होगी।

(ङ) आवेदन की तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के कर्मचारियों के परिवार के सदस्य न हों। ओएमसी कर्मचारी के संबंध में परिवार की परिभाषा है :

1) कर्मचारी की पत्नी या पति, जो भी लागू हो चाहे उसके साथ रहते हो या नहीं रहते हों, परंतु इसमें वह पति या पत्नी, जो भी लागू हो, शामिल नहीं हैं, जो एक न्यायिक निर्णय या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा कर्मचारी से अलग हो गये हों।

2) कर्मचारी के पुत्र या सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्रियां और उन पर पूरी तरह आश्रित हो, परंतु इसमें ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो अब कर्मचारी पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या कर्मचारी को जिसके संरक्षण से कानून के तहत या द्वारा वंचित किया गया है।

3) कर्मचारी के साथ रक्त संबंध या विवाह के जरिए संबंध रखने वाला व्यक्ति या उक्त कर्मचारी की पत्नी या पति या उक्त कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित व्यक्ति।

(च) मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मापदंड पूरे करने होंगे :

मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अर्थ है कि आवेदक अथवा पारिवारिक इकाई के किसी अन्य सदस्य के पास किसी सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी नहीं होनी चाहिए अथवा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी के लिए आशय पत्र (एलओआई) नहीं होनी चाहिए अर्थात एक पारिवारिक इकाई को पीएसयू ऑयल कम्पनी की केवल एक रिटेल आउलेट/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी की अनुमति दी जाएगी। परंतु ओएमसी के मौजूदा एसकेओ डीलर, जो विज्ञापन माह के पूर्व के 12 माह के दौरान प्रतिमाह 75 कि.ली. औसतन से कम एसकेओ के आवंटन पर प्रचालित हैं, वे व्यक्तिगत आवेदक की श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र होंगे। और यदि उन्हें चुना जाता है तो उन्हें आरजीजीएलवी के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले अपनी एसकेओ डीलरशिप अभ्यार्पित करनी होगी।

उपरोक्त मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियम एनडीएनई (नॉन डॉमेस्टिक नॉन इसेन्शियल) एलपीजी सिलिंडर के विशिष्टविपणन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल विपणन कंपनियों द्वारा नियुक्त रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी लागू होंगे. विवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, पारिवारिक इकाई में संबद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी/पति और उनके अविवाहित पुत्र (त्रों) और पुत्री (यां) शामिल होंगे । अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, पारिवारिक इकाई में संबद्ध व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके अविवाहित भाई (यों) और अविवाहित बहन (बहनें) शामिल होंगे। तलाकशुदा के मामले में पारिवारिक इकाई में संबद्ध व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां), जिनकी अभिरक्षा का दायित्व उसे सौंपा गया है, शामिल होंगे। विधवा/विधुर के मामले में पारिवारिक इकाई, में संबद्ध व्यक्ति अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां) शामिल होंगे।

(छ) आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समापन शेष के रूप में न्यूनतम 4 लाख रु. की राशि होनी चाहिए. यह राशि बैंक/डाकघर में बचत खातों में, अनुसूचित बैंकों, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियों/सरकारी संस्थानों/ राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुक्त और गैर ऋण ग्रस्त सावधि जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी, बाँड्स, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, सूचीबद्ध म्युचुअल फंड, यूलिप, पीपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य के रूप में कुल मिलाकर हो, जो स्वयं अपने नाम पर हों या "पारिवारिक इकाई" के परिवार सदस्यों, जैसा कि मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में यथा परिभाषित है, जो आवेदक के पक्ष में उक्त परिसम्पत्तियों को लिखित रूप में बंधक रखते हैं।

'अनु. जाति/अनु.जनजाति' श्रेणी के तहत आरक्षित स्थानों के मामले में आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समापन शेष के रूप में न्यूनतम 2 लाख रु. की राशि होनी चाहिए। यह राशि बैंक/डाकघर में बचत खातों में, अनुसूचित बैंकों, डाकघर, सूचीबद्ध कंपनियों/सरकारी संस्थानों/ राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुक्त और गैर ऋण ग्रस्त सावधि जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी, बाँड्स, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, सूचीबद्ध म्युचुअल फंड, यूलिप, पीपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य के रूप में कुल मिलाकर हो, जो स्वयं अपने नाम पर हों या "पारिवारिक इकाई" के परिवार सदस्यों, जैसाकि मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में यथा परिभाषित है, जो आवेदक के पक्ष में उक्त परिसम्पत्तियों को लिखित रूप में बंधक रखते हैं।

(ज) (1) उसके पास :

विज्ञापन में दिए आरजीजीएलवी स्थान पर 5000 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडरों के भंड़ारण हेतु एलपीजी गोदाम बनाने के लिए न्यूनतम 21 मीटर x 26 मीटर आकार का ज़मीन का प्लॉट हो। गोदाम निर्माण हेतु न्यूनतम 21 मीटर x 26 मीटर आकार की शर्त पूरी न करनेवाले ज़मीन के प्लॉट को मान्य नहीं किया जाएगा।

अथवा

विज्ञापन में दिए आरजीजीएलवी स्थान पर 5000 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडरों के भंड़ारण हेतु तैयार एलपीजी गोदाम/ज़मीन के प्लॉट या एलपीजी सिलिंडर रखने के लिए तैयार गोदाम में, सभी मौसमों में वाहन जाने योग्य सड़क (सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक सड़क से जुड़नेवाली निजी सड़क) होनी चाहिये। सार्वजनिक सड़क से जुड़नेवाली नीजि सड़क के मामले में यह आवेदक/परिवार के सदस्य की होनी चाहिए, जैसा नीचे वर्णित भूमि के स्वामित्व मानदंडों में ज(3) में परिभाषित किया गया है। उक्त निजी सड़क के संबंध में परिवार के सदस्यों के स्वामित्व/सह स्वामित्व के मामले में संबंधित परिवार के सदस्यों से स्वीकृति पत्र आवश्यक होगा।

(2) भूमि समतल होनी चाहिए, एक ही संलग्न प्लाट में होना चाहिए। लाइव ओवरहैड पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों अथवा टेलीफ़ोन लाइनों से मुक्त होना चाहिए। भूखंड में से पाइपलाइनें/नहर/ड्रेनेज/नाला आदि नहीं गुजरना चाहिए। एलपीजी गोदाम के निर्माण की भूमि के लिए लोक निर्माण विभाग, राजमार्ग प्राधिकरण/टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग आदि जैसे विभिन्न सांविधिक निकायों के मानक पूरे होने चाहिए।

(3) **स्वामित्व** का अर्थ है विज्ञापन अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट तिथि पर आवेदक के नाम में अथवा मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में यथा परिभाषित "पारिवारिक इकाई" में आवेदक/परिवार के सदस्य के नाम में या आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के स्वामित्व वाली भूमि के स्वामित्व का स्पष्ट विलेख होना चाहिए। परिवार के सदस्य के स्वामित्व/सह-स्वामित्व के उपरोक्त मामले में, परिवार के सदस्य से नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में सहमति पत्र लेने की आवश्यकता होगी।

(4) भूमि पर आवेदक/पारिवारिक इकाई के संयुक्त स्वामित्व के मामले में, (जैसा कि मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानको में यथा परिभाषित) माता-पिता और दादा-दादी और नाना-नानी के साथ अन्य कोई व्यक्ति तथा आवेदक/पारिवारिक इकाई/माता-पिता और दादा-दादी/नाना-नानी के नाम पर भूमि के भाग के मामले में आवश्यक माप सहित भूमि की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और इसके बाद गोदाम के लिए भी भूमि की पात्रता पूरी होनी चाहिए जो अन्य स्वामियों से नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के रुप में "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जमा करने के अधीन होगी।

(5) यदि आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की तिथि पर 5000 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडर के भंडारण के लिए गोदाम के निर्माण हेतु पर्यात साइज का एक से अधिक भूखंड या 5000 कि.ग्रा. क्षमता के एलपीजी सिलेंडर के भंडारण का तैयार गोदाम हो तो इसके विवरण आवेदन में भी दिए जा सकते हैं ।

(झ) व्यापार को चलाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ होना चाहिए।

(ञ) उसपर किसी आपराधिक मामले, जिसमें नैतिक दुराचार/आर्थिक अपराध शामिल हैं, के लिए किसी कानूनी न्यायालय द्वारा न तो उसे दोषी करार किया गया हो और न ही कानूनी न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ कोई आरोप तय किया गया हो।

(ट) उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप करार हस्ताक्षर ना किए हों जिसे किसी ऑयल कम्पनी द्वारा सिद्ध किए गए कदाचार/अपमिश्रण के मामले के आधार पर करार को निरस्त कर दिया गया हो।

4. **विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :**

4.1 मुख्य आरक्षण श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :

क. सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रत्याशी 'खुली' श्रेणी का अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी (एससी/एसटी) :

भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त जाति/जनजाति के आवेदक इस हेतु पात्र होंगे। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रत्याशी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। चयनित प्रत्याशी जो अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी में चयनित हुआ हो उसे ड्रा का रिजल्ट घोषित होने के 90 दिवस के अंदर संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

ग. अन्य पिछड़ा वर्ग :

भारत के संविधान के तहत भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में माने गए प्रत्याशियों को पात्रता होगी। प्रत्याशियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी होने का प्रमाणन करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र अपने आवेदन के साथ जमा कराना होगा कि प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है जो भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना/प्रस्ताव द्वारा अ.पि.व. के रूप में मान्यताप्राप्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र के साथ प्रत्याशी को यह वचन भी देना होगा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और नॉन क्रीमी लेयर स्थिति को पूरा करता है। विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) की सूचना में उल्लेखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को प्रत्याशी की अन्य पिछड़ा वर्ग स्थिति यह निर्धारित करने के लिए भी निर्णायक मानी जाएगी कि प्रत्याशी क्रीमी लेयर में नहीं आता है इसका सत्यापन किया जाएगा।

4.2 विभिन्न उप-श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :

क) सरकारी (केन्द्रीय और राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (केन्द्रीय और राज्य) – (जीपी) :

"एससी/एसटी" "अन्य पिछड़ा वर्ग" और "खुली" श्रेणी के तहत पात्र आवेदक, जैसा उपरोक्त पैरा 4.1 में निर्दिष्ट किया गया है, वे निम्नलिखत शर्तें पूरी करने पर संबंधित "जीपी" उप श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के लिए आवेदन कर सकते है :

1. रक्षा कार्मिक श्रेणी (डीपी) :

रक्षा कार्मिक का अर्थ है सशस्त्र सेनाओं (अर्थात आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) के कार्मिक और इसमें मारे गए कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित, युद्ध में अपंग आश्रित, युद्ध में अपंग हुए/डयूटी के दौरान अपंग हुए कार्मिक/सशस्त्र सेनाओं के वे सदस्य जो आरोप्य कारणों से अक्षम हुए हों अथवा आरोप्य कारणों से शांति के दौरान अपंग हुए हों, उनकी विधवाएं/आश्रित भी शामिल होंगे। इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्याशी को विज्ञापित किए गए आरजीजीएलवी, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए प्रायोजित करने हेतु जारी किया पात्रता प्रमाणपत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा। एक आरजीजीएलवी के लिए जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र दूसरे आरजीजीएलवी के लिए वैध नहीं होगा और इसलिए प्रत्याशी को मौजूदा विज्ञाापन के अन्तर्गत विज्ञापित एक विशिष्ट स्थान के लिए प्रयोजित होने पर ही उस स्थान के लिए योग्य माना जाएगा। इस श्रेणी के तहत आवेदकों के पास लॉट के ड्रा के दिन पर भी डीजीआर से मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करने का विकल्प होगा। जबकि उक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही उन्हें लॉट के ड्रा के लिए विचार में लिया जाएगा।

2. सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र कार्मिक श्रेणी :

केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों तथा केंद्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मी जो सेवा करते हुए अयोग्य या अक्षम हो गए हों, इस श्रेणी के तहत पात्र होंगे। ड्यूटी पर मृत्यू की स्थिति में, उनकी विधवाएं/आश्रित भी इस श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशी को संबध्द संगठन/सरकारी विभाग से संबंधित प्रमाण पत्र जो उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा वह भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो, की प्रति संलग्न करनी होगी।

ख) संयुक्त श्रेणी (सीसी)

"अनु. जाति/अनु. जनजाति", "अन्य पिछड़ा वर्ग" और "खुली" श्रेणी के तहत पात्र आवेदक, जैसा उपरोक्त पैरा 4.1 में निर्दिष्ट किया गया है, वे निम्निलिखित शर्ते पूरी करने पर संबंधित "सीसी" उप श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीएच) :

इस श्रेणी के अंतर्गत उन प्रत्याशियों को पात्र माना जाएगा जो आर्थोपेडिकली शरीर के ऊपरी हिस्से अथवा निचले हिस्से के न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी (आंशिक) अक्षमता के शिकार होंगे अथवा शरीर के ऊपरी एवं निचले अंगों दोनों की 50 प्रतिशत स्थायी (आंशिक) अक्षमता से ग्रस्त होंगे।

इस प्रयोजन के लिए 'स्थायी शारीरिक विकलांगता को आंकने के लिए मैनुअल फॉर आर्थोपेडिक सर्जन में निहित मानकों जिनका प्रकाशन अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्थोपैडिक सर्जन, अमेरिका द्वारा किया गया है और जिसके मुद्रण उनकी ओर से आर्टीफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, जीटी रोड, कानपुर द्वारा किया गया है, लागू होंगे। न्यूनतम 40 प्रतिशत अक्षमता वाले मूक, बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति भी इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी आरजीजीएलवी में आवेदन करने के पात्र होंगे। तथापि, पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्ति आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को मेडिकल बोर्ड, जिसका गठन विभिन्न अक्षमताओं और पद्धतियों के प्रमाणन के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड जिसका गठन भारत के असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली संख्या 154 दिनांक 13 जून, 2001 के अनुसार किया गया हो, से जारी एक प्रमाण पत्र (आवेदन फॉर्मेट में दिए गए मानक फॉर्मेट के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा।

2. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी (ओएसपी) :

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :

i) अर्जुन/खेल रत्न पुरस्कार विजेता

ii) ओलिम्पिक्स/एशियन/राष्ट्रमंडल खेलों तथा मान्यता प्राप्त विश्व चैम्पियनशिपों में पदक विजेता

iii) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी (पुरूष व महिला दोनों) में राष्ट्रीय चैम्पियन-प्रथम स्थान धारक

iv) राष्ट्रीय साहस पुरस्कार विजेता

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन करने वाली मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फैडरेशन (युवा कार्य एवं खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) अथवा युवा कार्य एवं विभाग, भारत सरकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

3. स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) :

स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ है वे व्यक्ति जिनके पास ताम्र पत्र है और जिन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन मिलती है। इस श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी होने के अपने ताम्र पत्र या प्रमाणपत्र या गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र के पालन में महा लेखाकार द्वारा जारी पेंशन आदेश की सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। शैक्षिक योग्यता और सामान्य पात्रता के तहत आयु के मापदंड भी स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी पर लागू नहीं होगी।

4.3 ओएमसी के विद्यमान एसकेओ डीलरों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :

उपरोक्त पैरा 4.1 और 4.2 के तहत पात्र आवेदक, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर संबंधित 'ओएमसी के एसकेओ डीलर' की श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के लिए आवेदन कर सकते है :

क) विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रति माह 75 कि.ली. से कम के औसत आवंटन पर प्रचालित ओएमसी के मौजूदा एसकेओ डीलर केवल व्यक्तिगत आवेदक की श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक को राज्य सरकार/संभाग/राज्य क्षेत्र/तेल कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय, जो भी लागू हो के आवंटन प्राधिकारी की ओर से उक्त आवंटन का प्रमाण अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा। मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानक उक्त आवेदन पर लागू नहीं होंगे।

ख) एक भागीदारी फर्म या संस्था या कंपनी के रुप में प्रचालनरत एसकेओ डीलरों को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

ग) आवंटन के मामले में एसकेओ डीलर को आरजीजीएलवी के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले अपनी एसकेओ डीलरशिप का अभ्यर्पण करना होगा।

घ) आयु और शैक्षिक योग्यता :

आयु : अधिकतम ऊपरी आयु सीमा – 60 वर्ष

शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दसवी कक्षा अथवा समकक्ष पास की हो।

ङ) आरजीजीएलवी के लिए आवेदन की पात्रता हेतु एसकेओ डीलर को विज्ञापन की तिथि से पूर्व पिछले 5 वर्ष के अंदर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए कभी दंडित नहीं किया गया हो या उसकी डीलरशिप के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप करार, कैरोसीन नियंत्रण आदेश या एस्मा के तहत कोई कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।

च) उपरोक्त पैरा सं. 3 में निर्दिष्ट सामान्य पात्रता मापदंड एसकेओ डीलरों पर भी लागू होंगे।

5. **आवेदन पत्र** इस विज्ञापन में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार सादे कागज पर (बेहतर होगा टाइप करके) भेजा जाना चाहिए।

6. **आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क :** आवेदन पत्र ₹1000 (रुपए एक हजार मात्र) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को मामले में (अनु.जा./अनु.जन.जा. का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए) ₹ 500 (रुपए पांच सौ मात्र) के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ जमा किए जाने चाहिए।

7. **आरजीजीएलवी के लिए आवेदन पत्र** (इस विज्ञापन में दिए फॉर्मेट के अनुसार) सभी संलग्नकों सहित और पूरी तरह से भर कर तथा किसी अनुसूचित बैंक में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से अप्रतिदेय शुल्क सहित इस प्रकार से भेजे जाने चाहिए कि वह नीचे दिए गए कार्यालय पते पर 21.10.2013 या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जाए :

विज्ञापित स्थान क्र. सं. से......तक	अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के पक्ष में	देय स्थान	आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क जमा करने हेतु कार्यालय पता
1 से 22 एवं 45 से 51	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	रायपुर	चीफ एरिया मैनेजर इण्डेन एरिया कार्यालय, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल भवन, राजीव गाँधी मार्ग, (व्हीआईपी रोड), पोष्ट – रविग्राम, तेलीबांदा, रायपुर, राज्य – छत्तीसगढ़, पिनकोड 492 006.
23 से 33 एवं 52 से 54	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	भोपाल	बीपीसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन सेल, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, गौतम नगर, ऑफिस कांपलेक्स, प्रथम तल, भोपाल, पिनकोड 462 023.
34 से 44 एवं 55 से 60	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	रायपुर	सीनियर रीजनल मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर एलपीजी रीजनल आफिस, मंदिर हासौद, पीओएल डिपो के पास, रायपुर, राज्य छत्तीसगढ़, पिनकोड 492 101.

8. **चयन प्रक्रिया मापदंड :**

आरजीजीएलवी के लिए चयन उन सभी योग्य आवेदकों में से पहले ड्रॉ द्वारा किया जाएगा, जो विज्ञापित आरजीजीएलवी लोकेशन की ग्राम पंचायत के निवासी हो। यदि उस ग्राम पंचायत से कोई भी पात्र उम्मीदवार नहीं मिले या उस ग्राम पंचायत से पात्र उम्मीदवारों की सूची समाप्त हो जाए, तो ही विज्ञापित आरजीजीएलवी लोकेशन की तहसील के निवासी पात्र उम्मीदवारों की सूची से ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।

पात्रता मापदंड पूरे करनेवाले सभी आवेदकों को ऊपर दिए वरीयता क्रम में ड्रॉ में शामिल होने की पात्रता होगी।

9. **शिकायत/शिकायत निवारण प्रणाली :**

किसी आवेदक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निपटारा निम्नानुसार किया जाएगा :

क) शिकायतकर्ताओं को संबंधित तेल कम्पनी के पक्ष में ₹1000 का शिकायत शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रुप में शिकायत के साथ जमा करना होगा। जिन शिकायतों के साथ ₹1000 की राशि संलग्न नहीं होगी उनकी जांच नहीं की जाएगी।

ख) गुमनाम शिकायतों की सामान्यत: जाँच नहीं की जाएगी।

ग) आवेदकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच केवल तभी की जाएगी यदि आवेदक को ड्रॉ में चुना जाता है।

घ) शिकायतों पर विचार केवल तभी किया जाएगा यदि वह ड्रॉ के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित तेल कंपनी के कार्यालय में प्राप्त होती है।

ङ) यदि चुने गए आवेदक के विरुद्ध ड्रॉ के परिणाम के घोषित होने के 30 दिनों के अंदर शिकायत प्राप्त होती है तभी इसकी जांच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

10. विस्तृत दिशानिर्देश जिसमें पात्रता मापदंड और चयन की प्रक्रिया निहित हैं, जिसे उपर्युक्त पैरा 7 में दिए पते पर ₹50 कीमत का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करके व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। यह संबंधित तेल कम्पनियों की वेबसाइट www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in, www.hindustanpetroleum.com पर भी उपलब्ध है।

11. **आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए अपेक्षित बुनियादी मूल संरचना सुविधाएँ – एलपीजी स्टोरेज गोदाम तथा शोरुम :**

आरजीजीएलवी के लिए पेट्रोलियम विस्फोटक और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) के मुख्य नियंत्रक से अनुमोदित और लाइसेंस प्राप्त स्टोरेज गोदाम की आवश्यकता होगी जहां एलपीजी के सिलेंडरो का भण्डारण किया जा सके। गोदाम के निर्माण के लिए कृपया उपरोक्त सामान्य पात्रता मापदंडों के 3ज (1) और (2) में उल्लेखित विवरण देखें। गोदाम के समीप 2.6 मीटर x 3 मीटर के शोरूम का निर्माण करने की जरूरत होगी अथवा इसे पास की मौजूद दुकान से भी चलाया जा सकता है जो उसी गाँव में गोदाम के स्थान से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर स्थित न हो।

12. **कॉर्पस फंड योजना – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए चुने गए प्रत्याशियों को वित्तीय सहायता :**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए चुने गए प्रत्याशी को संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा गोदाम/अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपया का आरक्षित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि की वसूली, नीति के अनुसार, 14.2 कि.ग्रा. के सिलेंडरों पर वितरक के प्रति रिफिल कमीशन के 20 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए संबंधित ऑयल कम्पनी आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए घटती हुई शेष राशि पर 11 प्रतिशत वार्षिक दर से पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराएगी। कार्यशील पूंजी ऋण और उस पर लगने वाली ब्याज की राशि, दोनों की वसूली 100 समान मासिक किश्तों में की जाएगी और ये किश्तें आरजीजीएलवी की कमीशनिंग के 13वें माह से शुरू होंगी।

13. **व्यक्तिगत निगरानी :**

आरजीजीएलवी के लिए चुने गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रबंध करना होगा। वह किसी अन्य प्रकार का रोजगार लेने का पात्र नहीं होगा/होगी। यदि कोई चुना गया व्यक्ति पहले से ही रोजगार में है तो उसे अपने वर्तमान रोजगार से त्याग पत्र देना होगा और ऑयल कम्पनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले नियोजक द्वारा स्वीकार किया गया त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुने गए व्यक्ति को ऑयल कम्पनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा कि वे निजी क्षेत्र में रोजगाररत नहीं है या वे राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/अनुलब्धि/परिलब्धि (पेंशन के अलावा) आहरित नहीं कर रहे हैं।

14. **आरजीजीएलवी को शुरू करना :**

चुने गए प्रत्याशियों के लिए विवरणों का फील्ड वेरीफिकेशन (एफवीसी) किया जाएगा और यदि प्रत्याशी द्वारा आवेदन में दी गई सूचना सही पाई जाती हैं तो आशय पत्र जारी किया जाएगा। चुने गए प्रत्याशी को ₹ 20,000 (बीस हजार) की राशि एफवीसी से पहले संबंधित तेल कंपनी के पास जमा करनी होगी। चयनित उम्मीदवार द्वारा यह राशि जमा न कराये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। प्रत्याशी द्वारा यदि आवेदन में झूठी/गलत/तोड़-मरोड़ कर जानकारी दी जाती है तो एफवीसी से पहले चुने गए प्रत्याशी का चयन रद्द करने के साथ यह ₹ 20,000 की राशि जब्त हो जाएगी। चुने गए प्रत्याशी जिन्हें आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है, उन्हें इसमें दी गई शर्तो और निबंधनों को पूरा करना होगा ताकि आरजीजीएलवी की कमीशनिंग निर्धारित समय के भीतर की जा सके। शुरु करने से पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और आरजीजीएलवी करार निष्पादित किया जाएगा। इस करार की आरंभिक अवधि शर्तो और नियमों के तहत 5 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात हर पांच वर्ष के बाद इसे निगम के स्वनिर्णय पर प्रचालित दिशा निर्देशों के संदर्भ में नवीनीकृत किया जा सकेगा।

15. **प्रतिभूति जमा :**

नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले चुने गए प्रत्याशी को संबंधित तेल कंपनी के पास ₹ 2 लाख (दो लाख रुपया) की ब्याज रहित प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। चुने गए प्रत्याशी से फील्ड वेरिफिकेशन (एफवीसी) से पहले ली गई ₹ 20,000 (बीस हजार रुपया) की राशि इस जमा के प्रति समायोजित की जाएगी।

संबंधित तेल कंपनी को त्याग पत्र/समाप्ति के समय इस राशि में किसी देय राशि का समायोजन करने का अधिकार होगा। परंतु सिध्द कदाचार के आधार पर आरजीजीएलवी के समाप्ति के मामले में कथित प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

16. **सामान्य :**

क) कम्पनी के पास कोई भी कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

ख) एक प्रत्याशी द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन दिया जा सकता है, प्रत्येक स्थान के संबंध में प्रत्येक मामले के लागू आवेदक शुल्क सहित अलग आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।

ग) आवेदक एक स्थान के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें समाहित करके एक ही आवेदन माना जाएगा और अन्य सभी आवेदनों का शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

घ) आरजीजीएलवी के लिए आवेदन पत्र विज्ञापन में दिए गए फॉरमॅट के अनुसार सादे कागज पर साफ-साफ लिखकर अथवा टाइप करके जमा किया जा सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों, संलग्न किए गए शपथ पत्रों सहित प्रत्येक पृष्ठ पर, पृष्ठसंख्या डालनी होगी और अपने हस्ताक्षर करना होगा। सभी शपथ पत्रों को आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना होगा।

शेष अगले पृष्ठ पर...

पिछले पृष्ठ का शेषं भाग...

ङ) केवल वे दस्तावेज जो आवेदन पत्र में मांगे गए हैं, आवेदन के साथ जमा किए जाए। आवेदन के साथ संलग्न अन्य किसी दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

च) डाक में देरी सहित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

छ) 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित स्थानों को छोड़कर अन्य के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवेदन के साथ अवश्य जमा करना होगा । जबकि रक्षा कार्मिक श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास ड्रॉ के दिन भी डीजीआरसे मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करने का विकल्प होगा।

ज) यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई जानकारी अथवा उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज में या आवेदन पत्र के संदर्भ में बाद में किसी भी स्तर पर प्रत्याशी द्वारा दी गई कोई जानकारी छुपाई गई हो/गलत रुप से पेश की गई हो/गलत या झूठी पाई जाती है जो योग्यता पर प्रतिकूल असर डालती हो तो आवेदन पत्र को कोई कारण बताए बिना निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक को आरजीजीएलवी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में उम्मीदवार/आरजीजीएलवी संबंधी ऑयल कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) आवेदक को आवेदन पत्र के विभिन्न मदों में माँगी गई सभी जानकारी देनी चाहिए। यदि चुना जाता है तो आवेदक को सत्यापन के समय आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों को मूल रूप से प्रस्तुत न कर पाने पर आवेदक का चयन निरस्त हो जाएगा एवं आवेदक द्वारा एफवीसी के पूर्व जमा की गई राशि ₹ 20,000/– जब्त हो जाएगी।

(ञ) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को भेजे जाने वाले लिफाफे पर साफ-साफ अक्षरों में निम्न प्रकार से लिखा जाए यह आवेदन पत्र ....(ऑयल कम्पनी का नाम) की ....स्थान के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक' हेतु है।

(ट) यह पूर्णत: एक व्यापारिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम हैं और यह किसी प्रकार के निश्चित लाभ अथवा प्रतिलाभ की गारंटी नहीं देता यह केवल आवेदन पत्र है और आरजीजीएलवी के लिए प्रस्ताव नहीं है।

(नीले/काले बाल पोइंट पेन का प्रयोग करके स्पष्ट अक्षरों में फार्म भरें)
अभ्यर्थी कृपया आवेदन करने से पहले सामान्य अनुदेश पढ़ें।

कार्यालय उपयोग हेतु आवेदक द्वारा न भरा जाए	कार्यालय कोड	क्रम संख्या	आवेदन प्राप्त होने की तिथि (दि न मा स व र्ष)	चिपकाएं हाल ही का पासपोर्ट साईज़ फोटोग्राफ नमूना हस्ताक्षर सहित जो फोटोग्राफ के आर–पार जाता हुआ हो
राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) के लिए आवेदन				
कृपया अपने स्थान की तेल कंपनी का नाम लिखें (बीपीसी या आईओसी या एचपीसी)				
आवेदन शुल्क का विवरण				
डिमांड ड्राफ्ट नंबर		**दिनांक** दि न मा स व र्ष		
शाखा पर आहरित (बैंक का नाम)		**भुगतान योग्य**		
के पक्ष में देय (तेल कंपनी का पूरा नाम)				

(एससी/एसटी आवेदकों को छोडकर सभी आवेदकों के लिए ₹1,000 (एक हजार ₹ मात्र) आवेदन प्रक्रिया शुल्क। एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु प्रक्रिया शुल्क ₹ 500 (पांच सौ ₹ मात्र) एससी/एसटी प्रमाणपत्र संलग्न करने पर) ।

1.	**आरजीजीएलवी का नाम**	
2अ.	**ग्राम पंचायत**	
2ब.	**तहसील**	
3.	**जिला**	
4.	**राज्य**	
5.	**श्रेणी**	

एससी/एसटी, एससी/एसटी (जीपी), एससी/एसटी (सीसी), ओबीसी (जीपी), ओबीसी, ओबीसी (सीसी), खुली (जीपी), खुली (सीसी) आवेदक कृपया पात्रता मापदंड में उल्लिखित विवरण के अनुसार अपने सक्षम प्राधिकारी से साक्ष्य के रूप में प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें । 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत स्थानों के लिए लागू नहीं।

6.	**विज्ञापन की तिथि**	दिन दिन माह माह वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष (कृपया यहाँ समाचार पत्र का नाम लिखें)
7.	**आवेदक विवरण परिशिष्ट–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र संलग्न करें**	
7.1	**नाम**	प्रथम नाम / मध्य नाम / उपनाम
7.2	**पिता/पति का नाम**	श्री — पद / प्रथम नाम / मध्य नाम / उपनाम
7.3	**पता**	
		पिन कोड :
	मोबाइल नं.	
	टेलिफोन नं.	**ई–मेल :**
7.4	**भारतीय नागरिक**	हाँ / नहीं
	निवासी	(गांव का नाम)
	ग्राम पंचायत	(ग्राम पंचायत का नाम)
	तहसील	(तहसील का नाम)
	जिला	(जिला का नाम)
	राज्य	(राज्य का नाम)
7.5	**लिंग**	पुरुष/महिला
7.6	**जन्म तिथि**	दिन दिन माह माह वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष — **आयु** **वर्ष** **माह** **दिन** — **आवेदन की तिथि पर आयु**
7.7	**वैवाहिक स्थिति**	अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर / तलाकशुदा — जो लागू नहीं हो उसे काट दें
7.8	**पति/पत्नी का नाम** (यदि विवाहित हैं)	
8.	**शैक्षिक योग्यता (पात्रता मापदण्ड अनुसार न्यूनतम)**	

योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष
माध्यमिक अर्थात् दसवीं परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष	1.	

9. **कृपया नीचे बिंदु 9 पर सचूना प्रदान करने से पहले सामान्य अनुदेश की मद संख्या 9 को पढें।**
"पारिवारिक इकाई के सदस्य"** में आवेदक/परिवार के सदस्य या आवेदक के माता–पिता और दादा–दादी/नाना–नानी के नाम पर विज्ञापन में दिए गए आरजीजीएलवी स्थान पर एलपीजी गोदाम के निर्माण/एलपीजी सिलेंडर भंडारण के तैयार गोदाम के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान करें । यदि यह भूमि आवेदक की पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी/नाना–नानी का नाम पर है तो परिशिष्ट–ख के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा। यदि यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति (यों) के साथ आवेदक की पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी/नाना–नानी के स्वामित्व में है और आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी/नाना–नानी के हिस्से वाली भूमि गोदाम की भूमि की आवश्यकताएं पूरी करती है तो परिशिष्ट–झ के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के रुप में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना हागो।

भूस्वामी नाम	आवेदक के साथ संबंध	पंजीकृत विक्रय विलेख/उपहार दाखिल/नामांतरण की तिथि	एलपीजी गोदाम के लिए भूमिस्थल का (गांव के नाम सहित) पता	खसरा संका/सर्वे सं.	भूमि के आयाम* लंबाई (मीटर में)	भूमि के आयाम* चौड़ाई (मीटर में)

***स्वामित्व वाली कुल भूमि में से प्रस्तावित गोदाम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जानेवाले भूखंड के आयामों का उल्लेख करें।**
टिप्पणी : (1) भूखंड 21 मी. × 26 मी. के न्यूनतम आयाम का न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
(2) भूमि के दस्तावेज विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उसके पूर्व के होने चाहिए तथा इनका सत्यापन फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा।

कृपया नीचे बिंदु 10 और 11 पर सूचना प्रदान करने से पहले सामान्य अनुदेश की मद संख्या10 और 11 को पढ़ें :

10 **बैंक/डाक कार्यालय में बचत बैंक खाते में राशि** आवेदक और "पारिवारिक इकाई"*** के सदस्यों के नाम पर। "पारिवारिक इकाई"*** के सदस्य(यों) से परिशिष्ट–ख में दिए गए प्रारूप के आधार पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा किया जाए।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	खाताधारकों के नाम	आवेदक के साथ संबंध	राशि
1.					₹
2.					₹
3.					₹
4.					₹
				कुल	₹
	शब्दों में कुल राशि : रुपये				

टिप्पणी : (1) प्रत्येक मामले में उपरोक्त घोषित राशि आवेदन जमा करने के निर्दिष्ट अंतिम तिथि जैसा कि विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में बताया गया है पर, क्लोजिंग बैलेंस के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए। इसकी जाँच, फील्ड वेरीफिकेशन में की जाएगी।

11 **सावधि जमा/एनएससी/शेयर/एमएफ आदि आवेदक और 'पारिवारिक इकाई'** के सदस्यों के नाम 'पारिवारिक इकाई'** के सदस्य (सदस्यों) द्वारा संलग्न प्रारूप परिशिष्ट–ख के अनुसार शपथ पत्र संलग्न किया जाए।**

क्रम संख्या	निवेश – एफडी/एनएससी/पीपीएफ/शेयर्स/म्युचुअल फंड आदि का प्रकार	तिथि सहित संदर्भ संख्या	धारक (कों) का नाम	आवेदक के साथ संबंध	प्रारंभिक निवेश की राशि	आवेदन की तिथि को मूल्य (राशि)
1.						₹
2.						₹
3.						₹
4.						₹
					कुल	₹
	शब्दों में कुल राशि : रुपये					

टिप्पणी : (1) प्रत्येक मामले में उपरो घोषित निवेश आवेदन जमा करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि, जैसा कि विज्ञापन या शुद्धिपत्र में (यदि कोई हों) बताया गया है, पर समापन शेष के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए तथा इनका सत्यापन फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा। (2) उपरोक्त दर्शाया गया मूल्य (राशि) आवेदन की तिथि पर होनी चाहिए।

12.	**क्या आपको कभी किसी अपराधिक मामले, जिसमें नैतिक दुराचार/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) शामिल है, के लिए किसी कानूनी न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है और/अथवा कानूनी न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय किया गया है। (यदि हां तो आप आवेदन करने के पात्र नहीं हैं)।**	**हां/नहीं** — **जो लागू नहीं हो उसे काट दें**
13.	**ओएमसी के मौजूदा एसकेओ (कैरोसीन) डीलरों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी**	
1.	एसकेओ डीलरशिप का नाम	
2.	एसकेओ डीलरशिप का स्थान	
3.	जिला	
4.	राज्य	
5.	डीलरशिप की श्रेणी	
6.	एसकेओ डीलरशिप की ऑयल कंपनी का नाम	आईओसी / बीपीसी / एचपीसी — जो लागू नहीं हों उसे काट दें
7.	डीलरशिप का गठन	स्वामित्व / भागीदारी / सोसायटी / कंपनी — जो लागू नहीं हों उसे काट दें
	(केवल एकमात्र स्वामित्व वाली एसकेओ डीलरशिप ही आवेदन की पात्र है)	
8.	**आरजीजीएलवी के इस विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रतिमाह औसत आवंटन ।**	औसत कि.ली./माह
	(75 कि.ली. या इससे अधिक एसकेओ में प्रति माह औसत आवंटन होने पर एसकेओ डीलर को आवेदन की पात्रता नहीं होगी)	

कृपया आरजीजीएलवी के इस विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रति माह औसत आवंटन की प्रति संलग्न करें, जिसे राज्य सरकार के आवंटन अधिकारी या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मंडल/क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालय के द्वारा जारी किया गया हो।

14. आवेदक द्वारा घोषणा

मुझे यह पता है कि उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर आरजीजीएलवी हेतु पात्रता का निणर्य किया जाएगा। आइॅल कंपनी द्वारा सत्यापन किए जाने पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत/झूठी/मिथ्या निरूपण है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी तथा मुझे आरजीजीएलवी के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। मैं इस बात की भी पुष्टि करता हूं कि यदि मेरा चयन किया जाता है तो इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना के संबंध में समर्थन हेतु अपने सभी मूल प्रलेखों को प्रस्तुत करूंगा तथा यदि मैं इन प्रलेखों को मूल रूप में प्रस्ततु नहीं कर पाता हूं तो इसके परिणामस्वरूप मेरा चयन निरस्त हो जाएगा।

मुझे पूरी तरह से पता है कि यदि मैं चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव (पीईएसओ) के कार्यालय से विधिवत अनुमोदित एलपीजी गोडाउन और/या शोरूम ऑइल कंपनी के मानक विन्यास के अनुसार उपलब्ध नहीं करवा पाता तो मुझे आवंटित आरजीजीएलवी को निरस्त कर दिया जाएगा।

मुझे यह बात पूरी तरह से पता है कि यदि मैं रोज़गाररत हुआ तो मुझे सेवा से त्याग पत्र देना होगा तथा आरजीजीएलवी स्कीम के अतंर्गत वितरक हेतु नियुक्ति के पत्र को जारी किए जाने से पहले अपने नियोक्ता से त्याग पत्र को स्वीकार किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में मेरा चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

मुझे यह भी पता है कि मैं राज्य/केन्द्रीय सरकार से कोई वेतन/अनुलाभ/परिलब्धियां (प्राप्त की गई पेन्शन के अलावा) प्राप्त नहीं कर सकता तथा आरजीजीएलवी के रूप में नियुक्ति के समय मुझे इन लाभों को त्यागना होगा। इस शर्त का पालन न कर पाने की स्थिति में मेरा चयन निरस्त हो जाएगा।

मैं यह जानता हूं कि यदि मैं विवाहित हूं तो मेरी जीवनसाथी मेरे साथ आरजीजीएलवी की सह–स्वामी होगी। कि, यदि मेरा चयन कर लिया जाता है तो मैं यह परिवचन देता हूं कि कार्पोरेशन की नीति के अनुसार मैं ब्याज मुक्त प्रतिभूति (सिक्योरिटी) जमा को जमा करवाऊंगा।

यदि मुझे चुना जाता है तो मुझे एफवीसी करने से पहले प्रतिभूति जमा राशि की 10 प्रतिशत राशि अर्थात ₹ 20,000/– जमा करने होंगे। यदि ऐसा पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत/झूठी/तोड–मरोड़कर जानकारी दी गई है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी साथ ही एफवीसी के पहले जमा किए गए ₹ 20,000/– की राशि भी जब्त हो जाएगी। मैंने विज्ञापन में उल्लिखित आरजीजीएलवी के लिए प्रयोजनीय सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा पुष्टि करता हूं कि मैं आरजीजीएलवी के लिए पात्रता मापदंड पर खरा उतरता हूं जिस हेतु मैंने यह आवेदन किया है।

इस आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत किए जाने से पहले मैंने जांच सूची के बिंदु संख्या 15 को सत्यापित कर लिया है तथा यह सही और सत्य है।

अंडरटेकिंग

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..............................एतद्द्वारा पुष्टि करता/ती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। किसी गलत जानकारी को दिए जाने/मिथ्या व्याख्या किए जाने/तथ्यों को छुपाने से मैं इस आरजीजीएलवी हेतु अपात्र हो जाऊंगा।

स्थान: ________________ **आवेदक के हस्ताक्षर** ________________
दिनांक: दि न मा स व र्ष **आवेदक का नाम** ________________
(स्पष्ट अक्षरों में)

15.	आवेदकों के लिए चेक लिस्ट	
	टिप्पणी : चेकलिस्ट में सभी आइटमों के सामने के चेकबाक्स को भरना आवश्यक होगा.	
क्र. सं.	**चेक और पुष्टि लायक दस्तावेज/गतिविधि**	**चेकबाक्स ✓/✗**
1.	मैंने डीडी नंबर.......................दिनांक.........................संलग्न किया है (सत्यापित धनराशि, संबंधित कंपनी के पक्ष में आहरित तथा..........................में भुगतान योग्य)	
2.	मैंने अपनी हाल ही की फोटो चिपका दी है तथा इस फोटो पर से होते हुए हस्ताक्षर कर दिए हैं	
3.	यथा प्रयोजनीय रूप से श्रेणी हेतु मैंने पात्रता प्रमाणपत्र (त्रों) की प्रतियां संलग्न कर दी हैं	
4.	मैंने परिशिष्ट–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल रूप में नोटरी किया हुआ शपथपत्र संलग्न कर दिया है	
5.	मैंने यथा प्रयोजनीय रूप से परिशिष्ट–ख के अनुसार मूल रूप में नोटरी किया हुआ शपथपत्र संलग्न कर दिया है	
6.	यथा प्रयोजनीय रूप से परिशिष्ट–झ के अनुसार भूमि के संयुक्त स्वामित्व के लिए मूल रूप में मैंने नोटरी किया हुआ शपथपत्र संलग्न कर दिया है	
7.	परिशिष्ट–च के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आवेदकों हेतु यथा प्रयोजनीय रूप में घोषणा/अंडरटेकिंग – मूल रूप से नोटरी किया हुआ शपथपत्र संलग्न कर दिया है	
8.	मैं यह पुष्टि करता हूं कि आवेदन की तारीख को मेरी आयु पात्रता मानदंडों के अनुसार है	
9.	मैं यह पुष्टि करता हूं कि मैं विज्ञापन में निर्दिष्ट आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत का निवासी हूं जिस आरजीजीएलवी के लिए यह आवेदन जमा किया गया है	
10.	मैं यह पुष्टि करता हूं कि मैं विज्ञापन में निर्दिष्ट आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत का निवासी नहीं हूं, मैं विज्ञापन में निर्दिष्ट आरजीजीएलवी स्थान की तहसील का निवासी हूं जिस आरजीजीएलवी के लिए यह आवेदन जमा किया गया है	
11.	मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम–से–कम 10वीं की या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है	
12.	मैं पुष्टि करता हूं कि विज्ञापित जगह पर गोडाउन के लिए जगह मेरे नाम पर/परिवार की इकाई के सदस्य** के नाम पर स्वामित्व वाली है या इसका स्वामित्व मेरे अभिभावकों तथा पितामहों (दादा–दादी तथा नाना–नानी) के नाम पर स्वामित्व वाली है तथा यह विज्ञापन के खंड संख्या 3 (ज) के अनुसार स्वामित्व के मानदंडों सहित पात्रता शर्तों पर खरी उतरती है. (आरजीजीएलवी हेतु आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश, की मद संख्या 9 को भी पढ़ें)	
13.	मैं पुष्टि करता हूं कि विज्ञापन के खंड संख्या 3 (छ) पर दिए अनुसार पात्रता मानदंडों हेतु मेरे पास कम-से-कम 4.0 लाख रुपए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की श्रेणी के लिए 2.0 लाख रुपए) की निधि है। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि परिवार इकाई** से बाहर के सदस्यों के साथ संयुक्त खाते में रखी गई धनराशि को मेरे आवेदन में नहीं लिखा गया है	
14.	मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने नाम, तारीख तथा स्थान के साथ आवेदन के अंत में (बिंदु संख्या 14) अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर किए हैं	
15.	मैं यह पुष्टि करता हूं कि मैंने आवेदन के सभी पृष्ठों पर संख्या डाली है तथा हस्ताक्षर किए हैं	
16.	संलग्नकों सहित आवेदन में पृष्ठों की कुल संख्या..................है	
17.	मैं पुष्टि करता हूं कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है तथा अपेक्षित प्रलेखों को संलग्न कर दिया गया है	

तारीख	**स्थान**	**आवेदक का नाम**	**हस्ताक्षर**

\# जांच सूची में जहां कहीं कोई मद यदि प्रयोजनीय न हो तो आवेदक को चाहिए कि वह जांच खाने में लागू नहीं लिख दे.

विवाहित आवेदक की परिवार इकाई**, में वह स्वयं, आवेदक की जीवन साथी तथा अविवाहित बेटा (टे)/बेटी (यां)होंगे तथा अविवाहित आवेदक की परिवार इकाई में वह स्वयं, आवेदक के अभिभावक तथा आवेदक के अविवाहित भाई (यों)/बहिन (नों) इस पूरे आवेदन के प्रयोजन से होंगे.

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

मद सं.	**निर्देश**	सत्यापन के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थन दस्तावेज
1.	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसका नाम लिखें।	
2 (ए)	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया है, जैसा कि ऊपर पाइंट 1 में उल्लेखित है, उसकी ग्राम पंचायत लिखें।	
2 (बी)	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया है, जैसा कि ऊपर पाइंट 1 में उल्लेखित है, उसकी तहसील लिखें।	
3.	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसके जिले का नाम लिखें।	
4.	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसके राज्य का नाम लिखें।	
5.	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है उसकी श्रेणी का नाम लिखें।	जैसा लागू हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्र। जाति वैधता प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो। उदाहरण के लिए यदि स्थान की श्रेणी एससी (सीसी) है तो आवेदक को एससी तथा सीसी दोनों श्रेणियों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र देना होगा। इसी प्रकार खुली (ओबीसी) के मामले में आवेदक को ओबीसी के पात्रता प्रमाणपत्र साथ ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर स्थिति दोनों में होने के लिए घोषणा/वचन/(नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र) देने होंगे।
6.	मद संख्या 1 में उल्लिखित स्थान के लिए जिस समाचार-पत्र में विज्ञापन निकला है, उसका नाम और तारीख लिखें।	
7.	मद संख्या 7.1 से 7.8 के लिए परिशिष्ट–क में दिए गए प्रारुप के अनुसार व्यक्तिगत विवरण भरे जाए और नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र जमा किए जाए।	सक्षम प्राधिकारी से मानक प्रारुप में निवास प्रमाणपत्र। जन्म तिथि का प्रमाण – 10वी कक्षा बोर्ड प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/पासपोर्ट/पैन कार्ड।
8.	शिक्षा	मूल मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा प्रमाणपत्र।
9.	गोदाम या तैयार भूखण्ड का विवरण जो निम्नलिखित आवश्यकताएँ पूरी करते हों। **आवेदक के स्वामित्व में** 5000 कि.ग्रा. एलपीजी का सिलेण्डरों में भण्डारण हेतु विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान पर 21 मीटर X 26 मीटर का भूखण्ड गोदाम निर्माण हेतु होना चाहिए। जो भूखण्ड गोदाम निर्माण हेतु न्यूनतम माप 21 मीटर X 26 मीटर की आवश्यकता पूरी नहीं करता हो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। अथवा एक तैयार 5000 कि.ग्रा. की क्षमता वाला एलपीजी गोडाऊन आरजीजीएलवी की विज्ञापित लोकेशन में होना चाहिए। भूखण्ड या तैयार एलपीजी गोडाऊन पर सभी मौसमों में आसानी से वाहन जाने योग्य सड़क (सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक सड़क से जुड़ने वाली निजी सड़क) होनी चाहिए। सार्वजनिक सड़क से जुड़ने वाली निजी सड़क के मामले में यह आवेदक/परिवार के सदस्य की होना चाहिए, जैसा विज्ञापन में स्वामित्व मापदंड 3 (ज) 3 में परिभाषित किया गया है। भूखण्ड समतल एवं प्लाट के एक ही टूकड़े में होना चाहिए, लाईव ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाईन अथवा टेलीफोन लाईन से मुक्त होना चाहिए। भूखंड में से नहर/ड्रेनेज/नाला नहीं गुजरना चाहिए। एलपीजी गोदाम के निर्माण का भूखंड विभिन्न सार्वजनिक निकायों जैसे कि लोक निर्माण विभाग/राजमार्ग प्राधिकरण/टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के मानक पर भी पूरा होना चाहिए। आरजीजीएलवी हेतु एलपीजी स्टोरेज गोडाऊन, जो चीफ कंट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव, विष्फोटक विभाग (पीईएसओ) द्वारा मंजूर एवं लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।	आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/आवेदक के माता–पिता और दादा–दादी/नाना–नानी के नाम पर भूमि/गोदाम के संबंध में दस्तावेज : पंजीकृत विक्रय विलेख/उपहार विलखे/दाखिल–खारिज तथा राजकीय अभिलेख आदि। भूमि दस्तावेज की तिथि विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या इससे पहले की होनी चाहिए। आवेदक के पारिवारिक इकाई के सदस्य माता–पिता और दादा–दादी/नाना–नानी के नाम पर भूमि के संबंध में उक्त परिवार के सदस्यों की सहमति नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र (परिशिष्ट–ख) के रूप में आवेदन के साथ संलग्न की जाए। यदि यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति (यों) के साथ आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी/नाना–नानी के संयुक्त स्वामित्व में है और आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी/नाना–नानी के हिस्से वाली भूमि गोदाम की भूमि की आवश्यकताएं पूरी करती है तो परिशिष्ट–झ केअनुसार संयुक्त स्वामियों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पारिवारिक इकाई को महत्वपूर्ण टिप्पणी के अन्तगर्त नीचे परिभाषित किया गया है।
10.	स्वयं अपने नाम पर या ''पारिवारिक इकाई'' के सदस्यों के नाम पर बैंक/डाकखाने में बचत खाते की राशि आवेदन जमा करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि, जैसा कि विज्ञापन या शुद्धिपत्र में (यदि कोई हों) बताया गया है, पर समापन शेष के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए, तथा केवल इसी समापन शेष पर विचार किया जाएगा। ''पारिवारिक इकाई'' के बाहर के सदस्यों के साथ संयुक्त खाते में रखी गई राशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए तथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा। परिशिष्ट–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करें।	विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर बचत खातों में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में उपलब्ध राशि, जो आवेदन में उल्लेखित है, का बचत खातों का स्टेटमेंट/पासबुक, जिसका सत्यापन किया जा सके।
11.	स्वयं अपने नाम पर या ''पारिवारिक इकाई'' में सदस्यों के नाम पर बॉन्ड/एनएससी में निवश – आवेदन की तिथि पर मूल्य (राशि) स्वयं अपने नाम पर या ''पारिवारिक इकाई'' में सदस्यों के नाम अनुसुचित बैंक/डाकखाने/सूचीबद्ध कंपनीयों/सरकारी संगठन/पीएसयू में सावधि जमा/पीपीएफ–आवेदन की तिथि पर मूल्य (राशि) विज्ञापन या शुद्धिपत्र में (यदि कोई हों) निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आवेदन में घोषित निवेश सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए। परिशिष्ठ 'ख' के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्रसंलग्न करें (यदि लागू हों।) ''पारिवारिक इकाई'' के बाहर के सदस्यों के साथ संयुक्त खाते में रखी गई राशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए तथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की तिथि पर एनएवी पर आधारित म्युचुअल फंड सूचीबद्ध शेयर/यूलिप में निवेश। धन की राशि, जो आवेदक बीमा पॉलिसी के अभ्यापर्ण पर प्राप्त कर सकता है।	समर्थन के सभी दस्तावेज, जिनके अधार पर राशि को बिंदु संख्या 11 में आवेदन तिथि के अनुसार घोषित किया गया है, उपलब्ध कराए जाएं। बैंक/डाकखाने या संबंधि वित्तीय संस्थान/जारीकर्ता संगठन द्वारा प्रमाणित निवेश दस्तावेजों के लिए आवेदन की तिथि के अनुसार घोषित मूल्य (राशि)। सावधि जमा/पीपीएफ/टर्म जमा/बॉन्ड/एनएससी आदि के मामले में इनकी परिपक्वता राशि आवेदन की तिथि और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, विज्ञापन या शुद्धिपत्र में (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट, के बीच होने पर आवेदक को घोषित राशि के पुन: निवेश के प्रमाण के रुप में आवेदन की मद। संख्या 10 और 11 में उल्लिखित अन्य कोई प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिए। उक्त निवेश की तिथि विज्ञापन या शुद्धिपत्र में (यदि कोई हों) में दी गई आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उसके पूर्व होनी चाहिए। आवेदन की तिथि पर मूल्य, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता या संबंधित वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया हो/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित। बीमा कंपनी से प्रमाणपत्र।
12.	किसी न्यायालय ने कभी भी किसी अपराधिक वारदात के लिए जिसमें चरित्रहीनता और/या आर्थिक अपराध शामिल हैं (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) दोषी करार दिया है, और/या खिलाफ कभी आरोप तय किए गये हैं।	परिशिष्ट–क में प्रारुप क; अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र जमा किया जाए।
13.	मद संख्या 1 से 8 तक एसकेओ (कैरोसीन) डीलरों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी।	परिशिष्ट–क में प्रारुप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र जमा किया जाए। आरजीजीएलवी के इस विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रतिमाह आवंटन की प्रति संलग्न करें, जिसे राज्य सरकार के आवंटन अधिकारी या संबंधि तेल विपणन कंपनी के मंडळ/क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालय द्वारा जारी किया जाए। संबंधित ओएमसी के साथ एसकेओ डीलरशिप करार की प्रति।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. इस पूरे आवेदन के प्रयोजनार्थ एक विवाहित आवेदक की ''परिवार इकाई'' में स्वयं आवेदक, आवेदक की पत्नी/पति और अविवाहित पुत्र (त्रों)/पुत्री (यों), और अविवाहित आवेदक की परिवार इकाई में आवेदक स्वयं आवेदक के माता–पिता एवं आवेदक के अविवाहित भाई (यों)/बहन (नें) शामिल होंगे।
2. आवेदक को आवेदन पत्र के विभिन्न मदों में उल्लिखित सभी जानकारियां देनी होगी। यदि चुना जाता है तो आवेदक को आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर एफवीसी से पहले चुने गए प्रत्याशी द्वारा जमा की गई ₹ 20,000/– की राशी जप्त होने के साथ चयन रद्द हो जाएगा।
3. अगर किसी जगह पर आवेदक को ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यक्ता है तो अतिरिक्त पंक्ति या अतिरिक्त कागज जोड़ कर ब्यौरा दिया जा सकता है. तथापि, ब्यौरा उसी प्रारूप में दिया जाए जैसा कि उस मद विशेष में उल्लेख किया गया है।

परिशिष्ट–क

(नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र)
अपेक्षित राशि के उपयुक्त नॉन ज्यूडिशीयल स्टांप पेपर पर टाईप किया जाए

मैं,..पुत्र/पुत्री/पत्नी........................आयु......................
वर्ष.................का निवासी एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि और बयान करता हूं :

1. कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और ....राज्य के .... (गांव का नाम), ... (ग्राम पंचायत),......................(तहसील),......................(जिला) का निवासी हूं।
2. कि मेरी जन्म तिथि है दि न मा स व र्ष (शब्दों में) ....
3. कि मैंने दसवी या समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष में उत्तीर्ण की है वर्ष व र्ष व र्ष

और

कि मैंने सीनियर सेकेंडरी अर्थात 10+2 सीबीएसई या समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष में उत्तीर्ण की है वर्ष व र्ष व र्ष

और

कि मैंने स्नातक परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है वर्ष व र्ष व र्ष

4. कि मैं अविवाहित हूं। कि मेरे, मेरे पिता, माता, अविवाहित भाई (भाइयों), अविवाहित बहन (बहनों) के पास किसी तेल कंपनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी/एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर है और न ही उनके पास रिटेल आउटलेट या एसकेओ – एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी या एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई आशय–पत्र है :

अथवा

कि मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी/पति का नाम................................... है। कि मेरे पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) के पास किसी तेल कंपनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी/एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर है और न ही उनके पास रिटेल आउटलेट या एसकेओ – एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई आशय–पत्र है :

अथवा

कि मैं विधवा/विधुर हूं। कि मेरे, मेरे अविवाहित पुत्र (पुत्रों) अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) के पास किसी तेल कंपनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी/एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर है आरै न ही उनके पास रिटेल आउटलेट या एसकेओ – एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी या एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कोई आशय–पत्र है :

अथवा

कि मैं तलकशुदा हूं। कि न तो मेरे, न ही मेरे अविवाहित पुत्र (पुत्रों) /अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) जिनकी कस्टडी मुझे दी गई है) के पास किसी तेल कंपनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी/एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर है और न ही उनके पास या एसकेओ – एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी या एनडीएनई रीटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई आशय–पत्र है :

5. मै एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मेरे परिवार के कोई भी सदस्य (विज्ञापन के खडं 3 (ङ) में परिभाषित) तेल विपणन कंपनियो में कर्मचारी नहीं है।
6. कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है।
7. कि किसी न्यायालय ने कभी किसी अपराधिक वारदात के लिए जिसमें चरित्रहीनता और/या आर्थिक अपराध शामिल हैं (स्वतंत्रता संग्राम को छोड कर) ना ही मुझे दोषी करार दिया है, और न ही मेरे खिलाफ कभी आरोप तय किये हैं।
8. कि मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं किसी तेल कंपनी की ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार पर कभी हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहा हूं जिसे कदाचार सिद्ध होने पर और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन करने के लिए निरस्त कर दिया गया था।
9. एसकेओ डीलरों की श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु आवेदकों के लिए :
   (क) कि मैं.........................(ओ.एम.सी) की एस.के.ओ. डिलरशिप में. (नाम व शैली)....................... स्थान.......... का एक मात्र स्वामी हूँ जो कि इस आरजीजीएलवी विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एस.के .ओ में प्रतिमाह 75 कि.ली से कम के औसत आवंटन पर प्रचालित है।
   (ख) विज्ञापन की तिथि से पूर्व पिछले 5 वर्षो के अंदर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों, डीलरशिप करार, कैरोसीन नियंत्रण आदेश या एस्मा के तहत कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
   (ग) मुझे पता है कि आरजीजीएलवी के लिए मेरा चयन होने पर आईओसी/बीपीसी/एचपीसी द्वारा आरजीजीएलवी डिस्ट्रिब्यूटर के रूप में नियुक्त होने से पहले मुझे अपनी एसकेओ डीलरशिप अभ्यर्पित करनी होगी.
10. कि यदि आरजीजीएलवी दिए जाने के लिए मेरे आवेदन या मेरे आवेदन के समर्थन में द्वारा जमा करवाए किसी दस्तावेज अथवा इस शपथपत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा असत्य, गलत या झूठ पाई गई तो इंडियन ऑयल लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम लिमिटेड*/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड* को अपना आशय–पत्र वापस लेने/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निरस्त करने (यदि पहले ही नियुक्त कर दी गई है) का अधिकार होगा और कि ऐसी वापसी/निरस्तीकरण के लिए कॉर्पोरेशन के विरुद्ध मेरा कोई दावा नहीं होगा।

***जो लागू नहीं हो उसको काट दें**

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरलिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
मेरे सामने शपथपूवर्क पुष्टि एवं घोषणा की गई
का.....................................दिन...

....
मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर — **शपथपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम स्पष्ट अक्षरों में)**

परिशिष्ट–ख

(नोटरीकृत शपथपत्र)
(अपेक्षित राशि के उपयुक्त नॉन ज्यूडिशीयल स्टांप पेपर पर टाईप किया जाए)
(परिवार के सदस्य द्वारा दिया जाए जैसा कि पात्रता मानदंड में आवेदक को छोड़कर उल्लिखित है)

मैं,...पुत्र/पुत्री/पत्नी...आयु................
वर्ष................ का निवासी, एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि एवं बयान करता हूं कि :

1. मैं अविवाहित हूं और मेरे पिता/माता/अविवाहित भाई/अविवाहित बहन (श्री/सुश्री)...... ने दिनांक..... के समाचार–पत्र में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत.... श्रेणी के तहत....... (स्थान) पर आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।

या

मैं विवाहित हूं और मेरे अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री/विवाहित पुत्र/विवाहित पुत्री/पत्नी/पती/पोता/पोती/नाती/नातिन (श्री/सुश्री)...........ने दिनांक......के समाचार–पत्र में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत........श्रेणी के तहत........(स्थान) पर आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है। जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

2. यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मैं...... रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराऊंगा जो......(स्थान) पर आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के आरजीजीएलवी के लिए (श्री/सुश्री)..द्वारा जमा करवाए गए आवेदन में मेरे नाम के अंतर्गत मद सं. 10 और 11 पर उल्लिखित है।
3. यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मेरे नाम से मद सं. 9 पर विनिर्दिष्ट भूमि पर गोदाम/शोरूम का निर्माण करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरलिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
   मेरे सामने शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा की गई
   का............................ दिन................................

....
मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर — **शपथपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम स्पष्ट अक्षरों में)**

पिछले पृष्ठ का शेष भाग...

परिशिष्ट–ग

मानक आवास प्रमाणपत्र
(जांच के समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा दिया जाएगा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कुमारी..
पुत्र/पुत्री/पत्नी..वर्षों से..................................
(शहर/गांव का नाम),..............................ग्राम पंचायत...................तहसील.......................जिला,................
.... राज्य के निवासी हैं।

यह प्रमाणपत्र..पर राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक हेतु आवेदन करने के लिए जारी किया गया है।

दिनांक.......................... **उप–तहसीलदार/तहसीलदार/**
स्थान.......................... **उप–मामलातदार/मामलातदार**
(कार्यालय की मुहर के साथ)

परिशिष्ट–घ

एससी/एसटी श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रारूप

टिप्पणी : अभ्यार्थी को, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है, अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित प्रपत्र में मूल प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ जमा करवाना होगा, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी# द्वारा जारी किया गया हो, उस जिले की संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामजद किया गया है, जिसमें आवेदक के माता–पिता (जीवित माता–पिता) सामान्यत: निवास करते हैं। यदि माता–पिता, दोनों का देहांत हो गया है तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां अभ्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रयोजन को छोड़कर, सामान्यत: निवास करता है। प्रमाणपत्र की असलियत के बारे में कोई संदेह होने पर उसकी जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त से कराई जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों द्वारा जमा करवाए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..पुत्र/पुत्री*.....................
निवासी गांव/शहर..जिला/प्रभाग*..राज्य/संघ/राज्यक्षेत्र*...के जाति/जनजाति के है और उनका धर्म..............................है जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भारतीय संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*
भारतीय संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956*
भारतीय संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962*
भारतीय संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964*
भारतीय अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*
भारतीय संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970*

स्थान : .... **हस्ताक्षर :** ....
तिथि : .... **पद :** ....
(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*...

*कृपया जो शब्द लागू नहीं हो, उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त पद सामान्यत: निवास करता है का वही अर्थ है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 में उल्लिखित है।

#जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

i जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट***/उपमंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। ***(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से निम्नतर नहीं।
ii मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
iii राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से निम्नतर ओहदे का नहीं हो।
iv उस क्षेत्र के उप संभाग अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है।
v प्रशासनिक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

परिशिष्ट–ङ

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रारुप

टिप्पणी : अभ्यर्थी को, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में से एक होने का दावा करता है, अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित प्रपत्र में मूल प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ जमा करावाना होगा, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ''**अन्य पिछड़ा वर्ग**'' **के अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवाए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..पुत्र/पुत्री*....................
..................निवासी गांव/शहर*...जिला/प्रभाग*.............................
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................के.................................समुदाय में आते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग के रुप में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त है।

परिशिष्ट–ड का शेष भाग...

क्र. सं.	भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा जारी संकल्प सं.	भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा जारी राजपत्र	संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी*...और/या उनका परिवार साधारण रुप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................के जिला/संभाग* के ....गांव/कस्बे* के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमाँक 36012/22/93–Estt.(SCT) दिनांक 08/09/1993 जिसे समय समय पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी संशोधनों के अनुसार अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियो/अनुभागों (क्रीमीलेयर) में नहीं आते हैं।

स्थान : .... **हस्ताक्षर:** ....
तिथि : .... **पद :** ....
(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*...
*कृपया जो शब्द लागू नहीं हो, उसे काट दें।

टिप्पणी :
(क) यहां प्रयुक्त पद सामान्यत: निवास करता है का वही अर्थ है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 में उल्लिखित है।
(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से निम्नतर नहीं।
(ii) मुख्य प्रसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से निम्नतर ओहदे का नहीं हो।
(iv) उस क्षेत्र के उप संभाग अधिकारी जहां प्रत्याशी और/या उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है।
(ग) अन्य पिछडा वर्ग स्थिति के लिए प्रत्याशी को विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में दी गई सूचना में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर देखा जाएगा और साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि प्रत्याशी क्रीमी लेयर में नहीं आता है। प्रत्याशी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपराुक्त निर्दिष्ट प्रारुप में संगत अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।

परिशिष्ट–च

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नोटरी द्वारा प्रमाणित/वचन
(अपेक्षित राशि के उपयुक्त नान–ज्यूडिशीयल स्टांप पेपर पर टाईप किया जाए)

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/श्री..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....................में जिला .... के गांव/शहर/कस्बे................................का निवासी हूँ, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं....................... समुदाय का हूं जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेश के अनुसार पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 08/09/1993 एवं जिसे समय समय पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी संशोधनों के अनुसार अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/अनुभागों (क्रीमीलेयर) से नहीं हूँ।
(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)

स्थान : ....

तिथि : ....

प्रत्याषी द्वारा घोषणा/वचन पर हस्ताक्षर नहीं होने से अस्वीकार दिया जाएगा।

झूठी घोषणा करने पर आवेदक की उम्मीदवारी/आवेदन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

परिशिष्ट–छ

शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र हेतु मानक प्रपत्र

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थान/अस्पताल का नाम और पता
प्रमाणपत्र सं. ....
दिनांक :

विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... पत्नी/पुत्री श्री..................................आयु..............पुरूष/स्त्री, पंजीकरण सं.............................शारीरिक रूप से अशक्त/दृष्टि अशक्तता/वाक् अशक्तता एवं श्रव्य अशक्त हैं और उनके.......................... के संबंध में.........................% (..........) स्थायी (शारिरीक अशक्तता, दृष्टि अशक्तता, वाक एवं श्रव्य अशक्तता)।

टिप्पणी :
1. यह अवस्था प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधार संभाव्य/सुधार असंभाव्य है।*
2. पुनर्मूल्यांकन के लिए................................माह/वर्ष की अवधि के बाद, सिफारिश की जाती है/नहीं की जाती है
*जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

हस्ताक्षर (चिकित्सक) मुहर	हस्ताक्षर (चिकित्सक) मुहर	हस्ताक्षर (चिकित्सक) मुहर

रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ
अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर के साथ)
यहां अशक्तता को दर्शाने वाला हाल ही में खींचा गया अनुप्रमाणित फोटोग्राफ चिपकाएं।

परिशिष्ट–ज

अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए मानक प्रारुप

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठन/सरकारी कार्यालय के कार्यालय लेटरहेड पर कार्यालय प्रमुख या ऐसे सरकारी अधिकारी जिसका ओहदा अवर सचिव से निम्नतर नहीं हो, द्वारा जारी किया जाए।
संदर्भ सं.
दिनांक :

अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाणपत्र

i # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..हमारे कार्यालय...................................में.................................पद पर कार्य कर रहे थे और.......................... (स्थान का नाम) पर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए दिनांक................................को उनका निधन हो गया। श्री/श्रीमती.....................की.........................के दौरान असाधारण बलिदान को मान्यता देते हुए...................... (शौर्य पुरस्कार का नाम) से सम्मानित किया गया।

या

श्री/सुश्री (आवेदक का नाम),...(संबंध)........................हमारे अभिलेखों के अनुसार श्री/सुश्री.................................के आश्रित थे।

या

ii # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...................................... हमारे कार्यालय निर्वहन करते हुए दिनांक .... को उनका निधन हो गया।
श्री/सुश्री (आवेदक का नाम). ....(संबंध).................................. हमारे अभिलेखों के अनुसार श्री/सुश्री .... के आश्रित थे।
iii # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(आवेदक का नाम),...........................हमारे......................संगठन में कार्यरत थे और वे............................के पद पर कार्यरत थे और.........................(स्थान) पर कार्यरत रहते हुए.................................(तिथि) को नि:षक्त हो गए।
iv # यह प्रमाणित किया जाता है श्री कि श्री/सुश्री (आवेदक का नाम), ...हमारे संगठन में........ ....के पद पर कार्यरत थे और..........................(स्थान) पर कार्यरत रहते हुए.......................... (तिथि) को उनका निधन हो गया।
v # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.........................हमारे संगठन....................में कार्यरत थे और वे कार्यरत रहते हुए शान्ति काल में...(तिथि) को उपारोप्य कारणों से नि:षक्त हो गए।

यदि लागू नहीं है तो हटा दें।

आवेदक के अनुप्रमाणित हस्ताक्षर

स्थान : ....
हस्ताक्षर : ....
तारीख : ....
नाम : ....
पद : ....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

परिशिष्ट–झ

नान ज्यूडिशीयल

आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्यों/माता–पिता/नाना–नानी/दादा–दादी तथा तीसरे पक्ष से भूमि के प्रस्ताव के लिए नोटरीकृत शपथ पत्र – भूमि के सभी संयुक्त स्वामियों (आवेदक के अलावा) को आवेदक के पारिवारिक इकाई के सदस्यों/माता–पिता/नाना–नानी/दादा–दादी सहीत अपनी ओर से यह व्यक्तिगत शपथ पत्र जमा करना होगा।
(अपेक्षित मूल्य के उपयुक्त अन्यायिक स्टांप पेपर पर टाइप किया जाए)

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी ....आयु ....वर्ष .... का निवासी, एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि एवं बयान करता हूं कि :

1. मै, श्री/श्रीमती ....राज्य....................के जिला ....के ....(गांव/कस्बा) तहसील में संयुक्त रूप से इस भूखंड का स्वामी हूं जिसका गाटा/खसरा/सर्वेक्षण संख्या ....है और जिसका मापन क्षेत्र निम्नलिखित विवरणों के अनुसार .... वर्ग मीटर है। (माप ....मीटर x...........मीटर):

संयुक्त स्वामियों के नाम	बिक्री विलेख/उपहार विलेख के पंजीकरण की तिथि/नामांतरण की तिथि	खसरा सं./गटा सं./ सर्वे सं.	सीमांकन योजना के सर्वेक्षण सं. अनुसार प्रस्तावित भूमि का माप (.......... मीटर x .... मीटर)

2. श्री/श्रीमती ....ने दिनांक .... के समाचार–पत्र .... में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत ....श्रेणी के तहत .... (स्थान) पर आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।
3. कि यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त स्थान पर भूमि के स्थल चित्र पर संलग्न सीमांकित भूमि का माप पर एलपीजी गोदाम (ओएमसी द्वारा आवश्यक) के निर्माण के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरलिखित मेरे सर्व श्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैंने उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का यह खंड किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित नहीं किया है।
मेरे सामने शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा की गई।

........................दिन........................(माह)............................(वर्ष)

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी पब्लिक हस्ताक्षर एवं मुहर **शपथग्रहिता का नाम व हस्ताक्षर एवं मुहर**